समाहरणालय पश्चिम चम्पारण, बेतिया

समेकित थरूहट विकास अभिकरण

–: आदेश :–

समेकित थरूहट विकास अभिकरण योजनान्तर्गत दिनांक 15.11.2014 को कार्यकारिणी समिति की बैठक में वर्ष 2014–15 के लिए सम्पर्क पथ निर्माण हेतु कर्णांकित राशि के विरूद्ध कुल 19 योजनाओं का चयन किया गया है जिसमें से बगहा–2 प्रखंड अन्तर्गत खरहट त्रिभौनी पंचायत की इस योजना का प्राक्कलन कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–1 के द्वारा अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल बेतिया द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् पत्रांक 123(अनु) दिनांक 02.02.2015 द्वारा प्राप्त हुआ है।

इस योजना का कार्यान्वयन प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराने का दायित्व कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–1 को सौंपा जाता है।

इस योजना के तकनीकी स्वीकृति प्राप्त राशि पर आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 937 दिनांक 16.02.2015 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति (कॉलम–5) दी गई है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रथम किस्त के रूप में स्तम्भ–6 में अंकित राशि कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–1 को निम्न प्रकार विमुक्त किया जाता है :–

क्र0	योजना का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत की राशि	प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम- भोलापुर खरहट से दोन नहर तक शेष बचे हुये सड़क का निर्माण	बगहा-2	खरहट त्रिभौनी	1,34,50,000.00	67,25,000.00	चार माह
			कुल योग :–	1,34,50,000.00	67,25,000.00	चार माह
				(कुल– सड़सठ लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र)		

शर्तेः–

1. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्य स्थल सार्वजनिक हो एवं कोई जमीनी विवाद नहीं हो तथा विगत पॉच वर्षो में इस योजना पर अन्य एजेंसी द्वारा कार्य नहीं कराया गया हो एवं किसी भी परिस्थिति में इस स्कीम की डुप्लीकेशन न हो।
2. कार्य प्रारंम्भ करने के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर योजना का स्थलीय रंगीन फोटोग्राफी करायेंगे, जिसे योजना पूर्ण होने पर समर्पित करेंगे।
3. योजना स्थल पर विस्तृत जानकारी हेतु एक सूचना–पटट् लगाया जाएगा जिसमें सबसे ऊपर "समेकित थरूहट विकास अभिकरण, बेतिया, वर्ष–14–15", योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि, कार्यारम्भ की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि, अभिकर्त्ता का नाम एवं मजदूरी की दर निश्चित रूप से अंकित हो ।
4. स्तम्भ–7 में अंकित निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण–पत्र एवं डी0सी0बिल समर्पित करेंगे।
5. योजना का कार्यान्वयन समेकित थरूहट विकास अभिकरण, बेतिया के मार्गदर्शन के आलोक में लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे। मास्टर रौल का संधारण तथा नियमानुसार बिक्री कर एवं रॉयल्टी की कटौती कर संबंधित शीर्ष में जमा करायेगें।
6. योजना का अनुश्रवण अधोहस्ताक्षरी के द्वारा किया जायेगा। योजना की गुणवत्ता की जॉच हेतु दो सदस्यीय कमिटि जिसमें उप विकास आयुक्त, प0 चम्पारण, बेतिया एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, बगहा कम से कम चार बार योजना का भौतिक निरीक्षण करेंगे तथा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।
7. किसी भी परिस्थिति में प्राक्कलन का पुनरीक्षण मान्य नहीं होगा ।
8. प्रत्येक माह में निश्चित रूप से वित्तीय/भौतिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन समेकित थरूहट विकास अभिकरण, बेतिया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

ह0-

जिला पदाधिकारी,

प0-चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक : 32 /स0थ0वि0अभि0, दिनांक : 03/03/2015

प्रतिलिपि : माननीय सांसद, 1–वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : संबंधित क्षेत्र के माननीय विधायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण, बेतिया एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, बगहा को आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 937 दिनांक 16.02.2015 की प्रति एवं प्राक्कलन के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त राशि का चेक यथा शीघ्र निर्गत करेंगे। लेखापाल, समेकित थरूहट विकास अभिकरण, बेतिया को निर्देश है कि उक्त राशि का चेक तैयार कर हस्ताक्षर हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के समक्ष तुरंत उपस्थापित करें।

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–1 को आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 937 दिनांक 16.02.2015 की प्रति एवं प्राक्कलन के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उक्त योजना का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी, बगहा–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, प0चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश है कि इस पत्र को इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

3/3/15